भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4914
23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध

4914. श्री अनुभव मोहंतीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार या किसी अन्य एजेंसी ने मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के कृषि कार्य में प्रयोग के बारे में अज्ञानता के कारण किसानों की मौत पर कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे रसायनों पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है जो इनका प्रयोग करने वाले किसानों के स्वास्थ्य, जिन कृषि उत्पादों में इनका प्रयोग होता है उन पर और इन कृषि उत्पादों का उपभोग करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते है/हानि पहुंचाते हैं; और

(ग) क्या सरकार मानव स्वास्थ्य पर इन कृषि उत्पादों का प्रयोग करने वाले लोगों पर रसायनों और कीटनाशकों के गंभीर और अत्यंत बुरे प्रभावों के बारे में किसानों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रचार के बेहतर माध्यमों का प्रयोग करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) : सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है।

(ख) : पंजीकृत कीटनाशकों की तकनीकी समीक्षा समय-समय पर उनके निरंतर उपयोग के लिए की जा रही है। ऐसी तकनीकी समीक्षाओं की सिफारिशों के आधार पर, विभाग ने देश में उपयोग के लिए 42 कीटनाशकों और 4 फार्म्युलेशनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 18 कीटनाशकों को उनकी विषाक्तता के कारण पंजीकरण के लिए कभी अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा, देश में उपयोग के लिए 8 कीटनाशक वापस ले लिए गए हैं और 9 कीटनाशकों को उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, कीटनाशकों के कई लेबल दावों को भी वापस ले लिया गया है।

(ग) : सरकार 'पादप संरक्षण और पौध संगरोध उप-मिशन' नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, एकीकृत कीट प्रबंधन पर जागरूकता और कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग को विस्तार (किसान फील्ड स्कूलों, मानव संसाधन कार्यक्रम, फील्ड प्रदर्शन आदि), प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार किया जाता है।

*****